न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	20.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दीपक गोखरू पुत्र श्री ज्ञानचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स ला मेडिकल एजेन्सीज घाड रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 4, टेलीफोन एक्सचेंज के पास दूनी जिला टोंक
2–मैसर्स ला मेडिकल एजेन्सीज घाड रोड दूनी जिला टोंक
3–श्री शंकर लाल चौधरी प्रोपरायटर मैसर्स आयुष मेडिकल एजेन्सी किदवई पार्क के सामने, शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक निवासी प्लॉट नं. 471, वार्ड नं. 4, कम्पू टोंक जिला टोंक
4–मैसर्स आयुष मेडिकल एजेन्सी किदवई पार्क के सामने, शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक
5–श्री सुनिल चौधरी प्रोपरायटर मैसर्स वी.एस. एन्टरप्राईजेज सी.ए. ऑफ केप्लर हेल्थकेयर प्रा. लि. 28, शिवशक्ति नगर, इन्डो भारत स्कूल के पास, निर्माण नगर जयपुर राज.
6– मैसर्स वी.एस. एन्टरप्राईजेज सी.ए. ऑफ केप्लर हेल्थकेयर प्रा. लि. 28, शिवशक्ति नगर, इन्डो भारत स्कूल के पास, निर्माण नगर जयपुर राज.
7–श्री हरपल वाला पुत्र श्री भीखाबाई कान्धाबाई वाला नॉमिनी मैसर्स केप्लर हैल्थकेयर प्रा.लि. ब्लॉक नं. 42, गोदाम नं. बी / 5, कंचन फार्म हाउस, एनएच नं.8, असलाली, अहमदाबाद निवासी बी–402, जीवन धाम, बीमा नगर के सामने, सेटेलाईट रोड, अहमदाबाद
8–मैसर्स केप्लर हैल्थकेयर प्रा.लि. ब्लॉक नं. 42, गोदाम नं. बी / 5, कंचन फार्म हाउस, एनएच नं.8, असलाली, अहमदाबाद
9–श्री दीपांकर कर्माकर पुत्र श्री काली पाडा कर्माकर नॉमिनी मैसर्स जियोन लाईफसाईन्सेज लिमिटेड नेचुरल डिवीजन ग्राम कुन्जा तह. पावंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश निवासी– प्लॉट नं. 4बी / सी 1, गीत अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं. 2, एन–1, सीआईडीसीओ, औरंगाबाद
10– मैसर्स जियोन लाईफसाईन्सेज लिमिटेड नेचुरल डिवीजन ग्राम कुन्जा तह. पावंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु. ।

:–निर्णय–: दिनांक 20.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को समय 05.29 पीएम पर मैसर्स ला मेडिकल एजेन्सी घाड रोड दूनी जिला टोंक (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री दीपक गोखरू पुत्र श्री ज्ञानचन्द को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दीपक गोखरू ने स्वयं को मैसर्स ला मेडिकल

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एजेन्सीज घाड रोड दूनी जिला टोंक (राज.) का एफ.बी.ओ होना तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री दीपक गोखरू की उपस्थिति में मैसर्स ला मेडिकल एजेन्सीज घाड रोड दूनी जिला टोक (राज0) का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में फूड सप्लीमेंट प्रोटीन पावडर, च्यवनप्राश, ग्लूकोज पावडर आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** जिसके बैच नं० जेडएमएस 02815 व पैकिंग दिनांक दिसम्बर 2015 थी, 200–200 मिलीग्राम के 5 नग दुकान की रैंक में रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दीपक गोखरू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री दीपक गोखरू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** को वास्त मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है दुकान की रैक में रखे 200–200 मिलीग्राम के 5 नगों में से ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल का चयन किया एवं वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयन गुदा 200–200 मिलीग्राम के 4 नग कुल मात्रा 800 मिलीग्राम **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** को श्री दीपक गोखरू एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को 200–200 मिलीग्राम के नगों को एक–एक पैकेटों को बराबर–बराबर (एक भाग 200 मिलीग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयर टाइट बन्द किया, एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी ओ के कोड एवं क्रमांक आई–1438 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री दीपक गोखरू तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1438 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** का नमूना क्रय करते समय श्री दीपक गोखरू पुत्र श्री ज्ञानचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स ला मेडिकल एजेन्सीज घाड रोड दूनी जिला टोक (राज0) ने मौके पर बतौर वारन्टी मेसर्स आयुष मेडिकल एजेन्सीज किदवई पार्क के सामने शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक राज. का खरीद प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स आयुष मेडिकल एजेन्सीज किदवई पार्क के सामने शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक को फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर मे उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का रजि० सर्टिफिकेट फार्म –03 व खाद्य अनुज्ञा लाईसेन्स की छायाप्रति, व बतौर वारन्टी मैसर्स वी. एस. एन्टरप्राईजेज सी.ए. ऑफ केप्लर हेल्थकेयर प्रा० लि० 28, शिवशक्ति नगर, इन्डो भारत स्कूल के पास, निर्माण नगर, जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स वी.एस. एन्टरप्राईजेज वी.एस. ऑफ केप्लर हेल्थकेयर प्रा० लि० 28 शिवशक्ति नगर, इन्डो भारत स्कूल के पास, निर्माण नगर, जयपुर राज० को फार्म न 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मँगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर मे उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का टिन रजि० सर्टिफिकेट व खाद्य अनुज्ञा लाईसेन्स व ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति व बतौर वारन्टी मैसर्स केप्लर हेल्थकेयर प्रा० लि० ब्लॉक नं0 42, गोदाम नं0 बी/5, कंचन फार्म हाऊस, असलाली, अहमदाबाद का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

वारंटी होने के कारण प्रबंधक मैसर्स केप्लर हेल्थकेयर प्रा० लि० ब्लॉक नं0 42, गोदाम नं० बी/5, कंचन फार्म हाऊस, असलाली, अहमदाबाद को वारंटी व आवश्यक दस्तावेज बाबत पत्र प्रेषित किये जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी में फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज व निर्माता फर्म जियोन लाईफ साइन्सेज लिमिटेड (नेचुरल) ग्राम कुन्जा, रामपुर रोड, पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश वारन्टी बिल प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5150 दिनांक 24.11.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./2793/एक्ट/2016/470 दिनांक 18.10.16 के अनुसार एफ.बी.ओ श्री दीपक गोखरू से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis- Branded)** स्तर का होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.05.2019 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री बसन्ती लाल चौधरी एडवोकेट ने तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 8 की ओर से श्री विकम जैन ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 9 व 10 को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने पर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया। इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड सप्लीमेंट सिरप मोकटेल (Proprietary Food Supplement Syrup Moktel)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/–(अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000/–(अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये), अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 9 व 10 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
न्याय. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0